भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1309

उत्तर देने की तारीख: 25.11.2019

विद्यालयों में अग्नि-सुरक्षा

1309. श्री दयाकर पसुनूरीः

श्री एन॰ रेड्डप्पः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्यालयों और महाविद्यालयों में वैध अग्नि-सुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त न किए जाने सहित अन्य कई तरीकों से बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार का उन विद्यालयों की मान्यता रद्द करने का विचार है, जिनके पास आगे अग्नि-सुरक्षा संबंधी प्रमाणपत्र नहीं होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा आगे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध अवधि में सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों को अग्नि-सुरक्षा संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): जी, नहीं। शिक्षा का अधिकार में सुरक्षित स्कूलों के प्रावधानों को शामिल किया गया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अक्टूबर, 2014 में बच्चों की सुरक्षा और रक्षा के संबंध में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करने के परिणामस्वरूप 2017 में इन्हें दोहराया गया है। दिशानिर्देशों में निवारक संस्थागत तंत्र और प्रक्रियाओं का सुझाव दिया गया है जिसे स्कूलों में किसी भी

अप्रिय घटना के मामले में राहत और निवारण कार्यनीति के साथ स्कूल शिक्षा प्रणाली में स्थान दिया जाना चाहिए। इसमें स्कूल की भौतिक अवसंरचना सहित बच्चों की सुरक्षा और रक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है जिनमें स्कूलों में भवन, बिजली और अग्नि सुरक्षा तंत्र, अग्नि सुरक्षा और अग्नि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन सहित सुरक्षा ऑडिट आदि शामिल है।

इन दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है कि अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों को प्रारंभिक स्कूल डिजाइन का हिस्सा होना चाहिए और नियमित रखरखाव और जांच की भी आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) के परिसरों में छात्रों की सुरक्षा के दिशा-निर्देशों को भी तैयार किया है। इन दिशानिर्देशों के तहत, एचईआई को अग्नि सुरक्षा प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जिसके तहत अग्नि का पता लगाने के लिए तंत्र, आग लगने पर चेतावनी और आग पर नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। छात्रों और स्टाफ को अग्निशमन उपकरणों के प्रभावी प्रचालन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। एक सेमेस्टर में कम से कम एक बार आग की स्थिति के लिए मॉक ड्रिल किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग): सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) अविनाश मेहरोत्रा (याचिकाकर्ता) बनाम भारत संघ और अन्य (प्रतिवादी) के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2004 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 483 में जारी किए गए दिशानिर्देश;

(ii) एनडीएमए द्वारा जारी स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 पर दिशानिर्देश जो प्रकृति में वैधानिक है;

(iii) एनसीपीसीआर द्वारा स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर विकसित मैनुअल और

(iv) राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड - 2005, समय-समय पर यथा संशोधित।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से स्कूली बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर दिशानिदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण प्रशासनिक और निगरानी तंत्र को सुग्राही बनाने और बच्चों के लिए स्कूलों में एक सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत वातावरण को स्थापित करने और सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया है।

*****